न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (चिल्ड्रेन कोर्ट), अररिया।

क्रिमिनल अपील नं0– 22 / 2026
सी.आई.एस. नं0 22 / 2026

(प्रस्तुत वाद किशोर न्याय परिषद वाद संख्या 65 / 2026 उत्पन्न जोगबनी थाना कांड संख्या 124 / 2026 अंतर्गत धारा 137(2), 96, 303(2), 3(5) भा0न्या0सं0 में किशोर न्याय परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2026 के विरूद्ध लाया गया है।)

समर उर्फ समीर (विधि विवादित किशोर)

..... अपीलकर्ता।

बनाम

बिहार सरकार .....प्रतिवादी।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता :– श्री अमर कुमार, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी की ओर से अधिवक्ता :– श्री जे. एन. ठाकुर, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

उपस्थित :– संजीत कुमार सिंह
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश (चिल्ड्रेन कोर्ट),
अररिया।

अररिया, दिनांक 23वीं जुलाई, 2026 ई0

निर्णय

1. प्रस्तुत क्रिमिनल अपील, अपीलकर्ता के द्वारा किशोर न्याय परिषद वाद संख्या 65 / 2026 जो जोगबनी थाना कांड संख्या 124 / 2026 अंतर्गत धारा धारा 137(2), 96, 303(2), 3(5) भा0न्या0सं0 में विद्वान किशोर न्याय परिषद के न्यायालय के आदेश दिनांक 05.06.2026 को अपास्त करने के लिये यह अपील दाखिल किया गया है।

2.संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक तौसिफ आलम के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि उसकी बेटी नब्या प्रवीण उम्र 14 साल और दूसरी साहिबा प्रवीण है, जो घर के पीछे

के रास्ते से निकली दर्जी के यहां जाने के लिए गई, लेकिन 1 घंटा के बाद जब वह घर वापस नहीं आयी तो सूचक परिवार के साथ खोजबीन करने लगे। खोजबीन के बाद कोई पता नहीं चला। जब एक लड़का आशु से पूछताछ किया तो काफी देर के बाद बताया कि मेरे दोस्त समर उर्फ समीर एवं अनिश आलम के साथ गयी है। जब घर में छानबीन किया गया तो पता चला कि गहना पैसा मिलाकर लगभग 5 लाख रूपया घर से गायब है।

3. जुवेनाईल अपीलकर्ता (विधि विवादित किशोर) का वाद, जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड वाद संख्या 65 / 2026 दिनांक 10.05.2026 को पंजीकृत किया गया। विद्वान जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड ने आदेश दिनांक 05.06.2026 के द्वारा विधि विवादित किशोर की उम्र घटना तिथि 08.05.2026 को 16 वर्ष 04 माह 07 दिन पाया है। विद्वान जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड ने विधि विवादित किशोर का जमानत आवेदन में उल्लेख किया है कि एसआईआर में बताया गया है कि विधि विवादित किशोर एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है और एक दूरस्थ क्षेत्र में रहता है जहाँ का सामाजिक वातावरण बच्चे के उचित विकास के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इलाके में असामाजिक तत्वों और नकारात्मक संगति की मौजूदगी बताई गई है, जिसका बच्चे के व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एसआईआर के शेष भाग में कोई अन्य प्रतिकूल राय दर्ज नहीं है। हालांकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, बोर्ड का यह मत है कि न्यायाधीश अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत जमानत से इनकार करने का एक विशिष्ट, स्पष्ट आधार है, अर्थात रिहाई पर विधि विवादित किशोर के शारीरिक खतरे में पड़ने की संभावना।

आरोप है कि दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण किया गया है, जिन्होंने पुलिस को दिए अपने बयानों के अनुसार, नेपाल में एक रात बिताई थी। यह आरोप, चाहे अंततः कितना भी सही क्यों न हो, पीड़ित परिवार और आस–पड़ोस में काफी आक्रोश और नाराजगी पैदा कर सकता है। शिकायतकर्ता / पीड़ित परिवार के वकील ने भी एक अलग याचिका दायर की है, जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि कथित घटना के बाद दोनों पक्षों के परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया है। यह घटना हाल ही में घटी है, और स्थिति को शांत होने में पर्याप्त समय नहीं लगा है, जिससे विधि विवादित किशोर की सुरक्षा को उसके घर में सुनिश्चित किया जा सके।

बोर्ड यह स्वीकार करता है कि घर आमतौर पर बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित वातावरण होता है, और निगरानी गृह में किसी भी प्रकार की हिरासत को बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए। हालांकि, इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, जिनमें पक्षों के परिवारों के बीच तनाव, कथित घटना

की हालिया घटना और पीड़ित के परिवार या पड़ोसियों द्वारा विधि विवादित किशोर के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न का खतरा शामिल है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्तर पर बच्चे की सुरक्षा और सर्वोत्तम हित के लिए यह बेहतर होगा कि उसे तत्काल अस्थिरता के शांत होने तक निगरानी गृह में सुरक्षात्मक हिरासत में रखा जाए।

तदनुसार, बोर्ड संतुष्ट है कि धारा 12(1)(ii) के तहत आधार, अर्थात कि रिहाई से सीआईसीएल को शारीरिक खतरे में पड़ने की संभावना है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर सिद्ध हो गया है।

उपरोक्त कारणों से, सीआईसीएल / विधि विवादित किशोर समर / समीर मोहम्मद समर की ओर से दिनांक 19.05.2026 को दायर की गई जमानत याचिका को दिनांक को 05.06.2026 इस स्तर पर अस्वीकार किया जाता है।

4. जुवेनाईल अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि अपीलकर्ता (विधि विवादित किशोर) निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। अपीलकर्ता द्वारा इस क्रिमिनल अपील के अलावे अन्य कोई अपील न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। विधि विवादित किशोर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। विधि विवादित किशोर को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। विधि विवादित किशोर के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। विधि विवादित किशोर को दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। विधि विवादित किशोर को संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। सूचक कथित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। दोनों पीड़िता बरामद हो गयी है। दोनों पीड़िता ने अपने धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के बयान में कही है कि हमारा किसी ने अपहरण नहीं किया है। उक्त वाद के सह–अभियुक्त आशु को जमानत का लाभ दिया चुका है। आवेदक दिनांक 10.05.2026 से पर्यवेक्षण गृह में है। अपीलकर्ता के पिता ने उसका मानसिक, मनोवैज्ञानिक व शिक्षा आदि का देखभाल व रख–रखाव के लिये तैयार है। अपीलकर्ता एवं उनके अभिभावक जमानत के शर्तों को मानने को तैयार है। विद्वान जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के आदेश दिनांक 05.06.2026 त्रुटिपूर्ण है और कुछ बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है इसलिये जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के उक्त आदेश को दरकिनार करते हुये अपीलकर्ता का अपील को स्वीकृत किया जाए।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने अपीलकर्ता के जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

6. दोनों पक्षों को सुना एवं सम्पूर्ण अभिलेख निम्न न्यायालय के अभिलेख सहित का अवलोकन किया। किसी विधि विवादित बालक (बच्चे की सुरक्षा एवं देखभाल) के जमानत से संबंधित कानून जो धारा 12 जुवेनाईल जस्टिस अधिनियम 2015 में उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है :–

> "12. (1) जब कोई व्यक्ति (विधि विवादित बालक) जो स्पष्ट रूप से एक बच्चा है और उस पर जमानतीय या अजमानतीय धारायें कारित करने का आरोप लगाया गया है। उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया हो या हिरासत में लिया गया हो या जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ हो तो ऐसे अपराध का विवरण आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य कानून/नियम जो समय के साथ प्रभाव में आता है तो उसे जमानत का लाभ दिया जा सकता है जब उसे किसी प्रोबेशन अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति जो बच्चे की देखभाल करने में उपयुक्त हो।
>
> परंतु ऐसे व्यक्ति (विधि विवादित बालक) को तब तक जमानत का लाभ नहीं दिया जाएगा जब वह विश्वास करने के युक्तियुक्ति आधार प्रतीत होता है कि उस बच्चे को छोड़े जाने से यह संभावना है कि उसका संसर्ग किसी अपराधी से हो सकता है या उक्त विधि विवादित बालक का नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा या उस व्यक्ति को छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।"

7. उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि किशोर बालक दिनांक 10.05.2026 से ही अपने सामान्य जीवन से दूर है और इसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है और न ही इस बात का कोई साक्ष्य है कि उसको किसी बड़े अपराधियों द्वारा अपराध करने के प्रयोजन से उपयोग में लाया जा रहा था, इसलिये उसे उसके सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में ही भेज देना उसका सर्वोच्च हित है। अपीलकर्ता के पिता उसका मानसिक, मनोवैज्ञानिक व शिक्षा आदि का देखभाल व रख–रखाव के लिये तैयार है। सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट में भी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी का सुक्षाव है कि विधि विरूद्ध बालक को उचित परामर्श, शिक्षा एवं माहौल की आवश्यकता प्रतीत होता है, जिससे संभवतः इनमें सुधार लाया जा सकता है।

8. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों और प्रावधानों को देखते हुये प्रतीत होता है कि विद्वान किशोर न्याय परिषद, अररिया के विधि विवादित बालक का जमानत से संबंधित उक्त आदेश में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तद्नुसार विद्वान किशोर न्याय परिषद, अररिया के द्वारा पारित विधि विवादित बालक के जमानत अस्वीकृति आदेश दिनांक 05.06.2026 की पुष्टि नहीं करता हूँ और क्रिमिनल अपील को **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक को मो0 10,000 / –(दस हजार) रूपये के दो समान प्रतिभूओं के साथ विद्वान किशोर न्याय परिषद, अररिया के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि :–

1. बालक के संरक्षक / पिता / जमानतदार इस बात का अंडरटेकिंग देंगे कि विधि विरोधी बालक नियमित रूप से प्रत्येक तिथि को संबंधित न्यायालय में सुनवाई के समय सदेह उपस्थित रहेंगे।
2. विधिक सह प्रोबेशन पदाधिकारी, किशोर / विधि विवादित बालक का प्रत्येक महीने अपने संतुष्टि के अनुसार काउंसलिंग का व्यवस्था करेंगे।
3. बालक का संरक्षक / पिता इस बात का अंडरटेकिंग देंगे कि वह बालक को किसी ज्ञात आपराधिक संगठन में जाने से बचायेंगे एवं उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे से बचायेंगे एवं बच्चे के शिक्षा के लिये समुचित प्रबंध करेंगे।

9. कार्यालय इस निर्णय की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ विद्वान जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड, अररिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश (चिल्ड्रेन कोर्ट)
अररिया। 23.07.2026

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश (चिल्ड्रेन कोर्ट)
अररिया। 23.07.2026